न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 882/2024

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम जाति नाई निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनिल धिंटाला अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः – 8/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 10/50 की कुल 6.3860 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम हनुमान पुत्र मालाराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम हनुमान पुत्र मालाराम के स्थान पर हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम हनुमान पुत्र मालाराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम हनुमान पुत्र मालाराम के स्थान पर हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 10/50 की कुल 6.3860 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का नाम हनुमान पुत्र मालाराम दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में वादी के पिता का नाम बालु राम दर्ज है तथा रोही मौजा खोपड़ा की अन्य भूमि में भी वादी के पिता का नाम भालुराम दर्ज है। वादी के नाम संबंध मं महेन्द्र सिंह पुत्र रावताराम द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 10/50 की कुल 6.3860 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **हनुमान पुत्र मालाराम के स्थान पर हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम जाति नाई निवासी खोप़ड़ा** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच हनुमान पुत्र मालाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम हनुमान पुत्र मालाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 882/2024
अनवान : –

1. हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम जाति नाई निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 882 सन 2024 निर्णय दिनांक – 8/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 10/50 की कुल 6.3860 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **हनुमान पुत्र मालाराम के स्थान पर हनुमान पुत्र भालुराम उर्फ बालु राम जाति नाई निवासी खोप़ड़ा** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच हनुमान पुत्र मालाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम हनुमान पुत्र मालाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 08/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested